न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 29 / 2021

प्रार्थीगण :—

1. मोहनलाल पुत्र श्री समेलराम, आयु 60 वर्ष,
2. सहीराम पुत्र श्री भभूतराम, आयु 49 वर्ष,
3. मांगीलाल पुत्र श्री मुकनाराम, आयु 43 वर्ष,
4. श्यामलाल पुत्र श्री हरीराम, आयु 58 वर्ष

सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री भीयाराम
2. गिरधारीराम पुत्र श्री भीयाराम
3. नवरतन पुत्र श्री भीयाराम
4. रूपाराम पुत्र श्री भीयाराम
5. रामस्वरूप पुत्र श्री भीयाराम
6. कंचन पुत्री श्री बीरबल
7. गोपालराम पुत्र श्री शिवराम
8. परमेश्वरीदेवी पत्नी श्री बीरबल
9. महेन्द्र पुत्र श्री बीरबल
10. राजेश पुत्र श्री बीरबल
11. शारदा पुत्री श्री बीरबल

    जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाडा
13. सरपंच, ग्राम पंचायत लाम्बा, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 6 से 10 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट ।
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 11 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 14—सरकारी पैरोकार

सहायक कलक्टर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

निर्णय दिनांक :— 3/09/24

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 650 रकबा 1.5371 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 690 है, जो प्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई मांगीलाल की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

भूमि है। उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का रहवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा भी बना हुआ है। रहवासीय मकान में प्रार्थी संख्या 1 अपने सपरिवार सहित रहता है तथा पशुओ के बाड़ा का उपयोग प्रार्थी संख्या 1 अपने पालतु पशुओं के लिए उपयोग में लेता है, रहवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा 10 वर्ष पुराना है। राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 661 रकबा 2.5079 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 241 है, जो प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई घेवरराम, जीयाराम, भगवानराम, शिवराम, सोहनलाल की सयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है तथा मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार उक्त खसरे की भूमि प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई भगवानराम के बंट में आई हुई है। राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 657 रकबा 1.5047 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 620 है, जो प्रार्थी संख्या 3 व 4 व उक्त खसरे की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज सहखातेदारान की सयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है तथा मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी संख्या 3, 4 व मोहनलाल पुत्र सुखराम के बंट में आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी संख्या 3 का रहवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा भी बना हुआ है। रहवासीय मकान में प्रार्थी संख्या 3 अपने सपरिवार सहित रहता है तथा पशुओ के बाड़ा का उपयोग प्रार्थी संख्या 3 अपने पालतु पशुओं के लिए उपयोग में लेता है, रहवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा 25 वर्ष पुराना है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661 व 657 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 707 रकबा 1.3429 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 558 है, जो ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तक की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अनुसार हिस्सा है। तथा खसरा संख्या 707 के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा संख्या 709 रकबा 2.6293 हैक्टेयर भूमि आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 137 है, जो ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 6 से 11 तक की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 6 से 11 का चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अनुसार हिस्सा है। व खसरा संख्या 709 के दक्षिण दिशा की ओर खसरा संख्या 717 रकबा 1.3429 हैक्टेयर भूमि आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 994 है, जो ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 13 ग्राम पंचायत लाम्बा की खातेदारीसुदा भूमि है। जिसकी किस्म गै.मु. आबादी है। खसरा संख्या 717 के दक्षिण दिशा की ओर खसरा संख्या 1667 रकबा 4.2311 हैक्टेयर भूमि आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 999 है, जो ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारीसुदा भूमि है, जिसकी किस्म गै.मु. रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर डामरयुक्त है तथा ग्राम लाम्बा से ग्राम भावी की ओर जाता है। प्रार्थीगण के पूर्वजों व अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पूर्वजों द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 707 की पश्चिमी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

माठ के सहारे–सहारे, खसरा संख्या 709 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में आने–जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थीगण के पूर्वजो व प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 707 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे, 709 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे व अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 717 के मध्य में से कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में आने–जाने हेतु वक्त सेटलमेन्ट से उपयोग करते आ रहे है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 707, 709, 717 स्थित है तथा खसरा संख्या 717 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1667 गैर मुमकीन रास्ता स्थित है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में काश्त कार्य हेतु आने–जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त गैर मुमकीन रास्ता के उतर दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 717 के मध्य में स्थित रास्ता से व अप्रार्थी संख्या 6 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 709 की पूर्वी दिशा में स्थित रास्ता से व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 707 के पश्चिमी दिशा पर स्थित रास्ता से जिसे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. से दर्शाया गया है, का उपयोग करते है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है। भूमि खसरा संख्या 717, 709 व 707 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में पहुचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 ने खसरा संख्या 709 व 709 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज़ से 2–3 दिन पूर्व बंद करने पर आमादा है तथा बंद करने हेतु उक्त रास्ते की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण करने पर आमादा है। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में आने–जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तथा प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ेगा। प्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। यदि प्रार्थीगण काश्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कार्य से वंचित होने पर प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो जायेगा। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 717, 709, 707 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 के विरूद्ध खसरा संख्या 717, 709, 707 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 717, 709 व 707 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई. एफ.जी.एच. रास्ता चौडाई 30 फुट की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। अप्रार्थी गोपालराम का खसरा संख्या 709 में स्थित 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 के पास रहन होने के कारण अप्रार्थी संख्या 12 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी. सी.डी.ई.एफ.जी.एच खसरा संख्या 717, 709 व 707 का भाग है, जो राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 717, 709 व 707 के मार्क **ए.बी.सी.डी.ई.एफ. जी.एच.** भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में पहुचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 717, 709 व 707 में स्थित मार्क **ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.** रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 3 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 650, 661, 657 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 717, 709 व 707 के मार्क **ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.** भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 14 से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 6 से 10 की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 11 से 13 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया बार–बार रूक रूककर आवाज दिलवाई गई फिर भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 12.04.2022 को अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 11 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 6 से 10 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सख्या 1 प्रार्थी संख्या–1 की ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 650 जरूर आयी हुयी है। प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 की भूमि खसरा नम्बर 650 खातेदारी की नहीं है। प्रार्थी संख्या–2 की ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 661 जरूर आयी हुयी है। प्रार्थी संख्या–1, 3, 4 की भूमि खसरा नम्बर 661 खातेदारी की नही है। प्रार्थी संख्या–3, 4 की ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 657 जरूर आयी हुयी है। प्रार्थी संख्या–1, 2 की भूमि खसरा नम्बर 657 खातेदारी की नहीं है। प्रार्थी संख्या–1 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 650 तथा प्रार्थी संख्या–2 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 661 तथा प्रार्थी संख्या–3, 4 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 657 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 707 के पश्चिमी दिशा तथा खसरा नम्बर 709 के पूर्वी दिशा तथा खसरा नम्बर 717 के मध्य भाग से होकर आगे रास्ते के लिए खसरा नम्बर 1667 गै.मु. रास्ता में कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 650 661, 657 में कृषि कार्य के आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 707 709 में नया रास्ता कायम करना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जो वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 562 गै.मु. रास्ता है. उक्त खसरा नम्बर 562 गे.मु. रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण व आस पड़ौस के किसान अपने अपने खेतों में पहुंचकर खेती इत्यादि करते हैं। खसरा नम्बर 562 गै. मु. रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खेत खसरा नम्बर 590 591 592, 651 के दक्षिणी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 650 की भूमि में पहुंचता है, जो रास्ता मार्क अब स द है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 662 गै.मु. रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खेत खसरा नम्बर 589, 588, 2422⁄587, 2421⁄587, 586, 585⁄2, 652 के उत्तरी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 661 की भूमि में पहुंचता है, जो रास्ता मार्क यरल व है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 562 गै. मु. रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खेत खसरा नम्बर 580, 581, 582, 583, 584, 655, 656 के पुरारी दिशा की ओर मात के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 857 की भूमि में पहुंचता है, जो रास्ता मार्क शथ स ह है। पार्थीगण का मार्क अव सद. घर ल व श ष स ह वाली भूमि का आवागमन कई वर्षों से चला आ रहा है। पार्थी संख्या– भूमि सासरा नम्बर 500, 591, 592, 651 के मार्क असद तथा प्रार्थीसंख्या–2 भूमि खसरा नम्बर 580, 581, 582, 583, 584, 655, 656 के मार्क शश्रसह के आम रास्ते से प्रार्थीगण अपने ट्रैक्टर, वाहन मोटरसाईकिल आदि साधन लाते व ले जाते है। जिसका उपयोग सेटलमेंट के समय से करते चले जा रहे है। मौके पर चल रहे रास्ते का नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा विरोधाभाषी है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 707, 709 717 में से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि असरा नम्बर 650 661, 657 में आने जाने हेतु का नहीं चलता है तथा न ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि का कभी उपयोग व उपभोग किया है। जबकि प्रार्थी संख्या–1 भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 562 गै.मु. रास्ता से खसरा नम्बर 590 591 592. 651 के मार्क अब सद से अपनी भूमि खसरा नम्बर 650 में पहुंचता है, इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 भूमि खसरा नम्बर 562 गे. मु. रास्ता से खसरा नम्बर 589 588. 2422/587, 2421/587, 586. 585/2,652 के सार्क य र ल व से अपनी भूमि खतरा नम्बर 661 में पहुंचता है तथा इसी अनुसार प्रार्थी संख्या–3, 4 भूमि खसरा नम्बर 562 गै. मु. रास्ता से खसरा नम्बर 580, 581, 582, 583, 584, 655, 656 के मार्क शषसह से अपनी भूमि खसरा नम्बर 657 में पहुंचते हैं एवं हमेशा की तरह अपना दैनिक जीवन के काम में आने वाले रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहे है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वैकल्पिक खसरा नम्बर 590, 591, 592, 651 के मार्क अब स द तथा खसरा नम्बर 589, 588, 2422/587, 2421/587, 586, 585/2,652 के मार्क य र ल व तथा खसरा नम्बर 580. 581, 582, 583, 584, 655, 656 के मार्क श ष स ह भाग से होकर गुजरने का मौजुद है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा को पेश किया है, उक्त नजरी नक्शे में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 650, 661, 657 का न्यूनतम रास्ता खसरा नम्बर 562 गैर मुमकिन रास्ता का उल्लेख या अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी सुविधाजनक रास्ते की आड में नया रास्ता कायम नहीं करवा सकते हैं, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित किया गया मार्ग जो प्रार्थीगण का आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग नहीं है। पद सं. 7 से 10 कानूनी है। अप्रार्थी सं. 6 से 10 द्वारा अतिरिक्त कथन पेश किए जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कमीश्नर द्वारा अप्रार्थीगण का नोटिस या सूचना दिये बीना एक तरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाला कोई मौका रिपोर्ट नोटिस या सुनवायी का अवसर दिये बीना पारित नहीं की जा सकती है, अतः मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त की जाने योग्य है। भू अभिलेख निरीक्षक ने जानबुझकर मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 में खसरा नम्बर 650, 661, 657 में पहुंचने हेतु का न्यूनतम रास्ता खसरा नम्बर 717 के मार्क ए बी जी एच तथा खसरा नम्बर 709 के मार्क बी सी जी एफ तथा खसरा नम्बर 707 के मार्क सी डी ई एफ का होना बताया है। राजस्व रेकर्ड भू नक्शा के अनुसार प्रार्थी संख्या–1 के खसरा नम्बर 650 को खसरा नम्बर 661, 657, 707, 709, 717 में से निकलने के लिए 2970 वर्गफुट रास्ते की भूमि बनती है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या–2 के खसरा नम्बर 661 को खसरा नम्बर 657, 707, 709, 717 में से निकलने के लिए 2442 वर्गफुट रास्ते की भूमि बनती है। इसी अनुसार प्रार्थी संख्या–3, 4 के खसरा नम्बर 657 को खसरा नम्बर 707, 709, 717 में से निकलने के लिए 1650 वर्गफुट रास्ते की भूमि बनती है। इसके विपरीत खसरा नम्बर 562 गैर मुमकिन रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर स्थित भूमि खसरा नम्बर 500 501 502 651 में से होकर प्रार्थीसंख्या की खसरा नश्वर 650 में पहुंचने के लिए रास्ता की दूरी 1980 वर्गफुट भूमि का रकबा न्यूनतम होता है, जो न्यूनतम भूमि का रकबा 990 वर्गफुट का बनता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 562 गैर मुमकिन रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर स्थित भूमि खसरा नम्बर 589. 588. 2422/587,2421/587, 586 585/2.652 में से होकर प्रार्थीसंख्या–2 की खसरा नम्बर हा में पहुंचने के लिए रास्ता की दूरी 1914 वर्गफुट भूमि का रकबा न्यूनतम होता है. जो न्यूनतम भूमि का 520 वर्गफुट का बनता है। भू अभिलेख निरीक्षक ने रेकर्ड नक्शा का कोई अवलोकन नहीं कर नया रास्ता की स्थापना करने में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भारी अनियमितता बरती गयी है. जो केवल इसी आधार पर कमीश्नर रिपोर्ट निरस्त किये जोन योग्य है। प्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 650 के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 651 स्थित है. जिसके पश्चिमी दिशा की ओर कटाशी रास्ता चलता है. जो खतरा नम्बर 650 खसरा नम्बर 651 की मात्र 153 फुट दूरी पर ही स्थित है। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ते की आड़ में नया रास्ता स्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने संलग्न नजरी नक्शा में असरा नम्बर 650, 661, 657 की खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की होना बताया है, जबकि खसरा नम्बर 650 के खातेदार प्रार्थी संख्या–2. 3. 4 नहीं है। खसरा नम्बर 650 के खातेदार को अपनी भूमि में पहुंचने हेतु उसे खसरा नम्बर 661, 657 में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन खसरा नम्बर 661 में से प्रार्थी संख्या–1 ने कोई रास्ता की मांग नहीं की गयी है। जब तक भूमि खसरा नम्बर 661, 657 के खातेदारान को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार नहीं बना देते या राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते की भूमि का समर्पण नहीं कर देते, तब तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 657 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 716 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि सेटलमेन्ट के समय धूलाराम पुत्र उम्मेदराम, पोकरराम, जोराराम, हीराराम पिसरान दौलाराम जातियान विश्नोई निवासीगण लाम्बा की थी। जिसमें से खातेदार धूलाराम का देहान्त हो चुका है, धूलाराम का उतराधिकारी उसका पुत्र मुकनाराम है, मुकनाराम का देहान्त हो चुका है. मुकनाराम का उतराधिकारी उसका पुत्र मांगीलाल (प्रार्थी संख्या–3) है। इसी प्रकार हिराराम का उतराधिकारी उसका पुत्र श्यामलाल (प्रार्थी संख्या–4) है। इस प्रकार खसरा नम्बर 657, 716 के खातेदार एक ही है। खसरा नम्बर 657, 716 के बीच पारिवारिक बंटवाड़ा होगा। खसरा नम्बर 657 का खातेदार अपनी स्वयं की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 716 में से कोई रास्ते की मांग नहीं की गयी है। खसरा नम्बर 657 अपनी स्वयं की पैतृक भूमि खसरा नम्बर 716 में कोई रास्ता दर्ज नहीं करवाना चाहते है तथा अपनी भूमि खसरा नम्बर 716 को बचाना चाहते है। एवं पडौस की अन्य भूमि सासरा नम्बर 709 (पार्थी संख्या–६ से ११) में नया रास्ता स्थापित करना चाहते है जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थीगण अपनी पैतृक भूमि खसरा नम्बर 716 में से ही पहले रांस्ता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 650 रकबा 9 वीधा 10 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी संख्या–1 मोहनलाल तथा उसका सगा भाई मांगीलाल की आयी हुयी है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 650 को लेकर प्रार्थी संख्या– मोहनलाल ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपने भाई मांगीलाल के विरूद्ध बंटवाड़ा का राजस्य वाद को दिनांक 23.05.2018 को पेश किया. जो राजस्व वाद संख्या–45ध्2018 में प्राथमिक डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव को तलब किया गया, उस बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर खातेदार मांगीलाल ने अपने कब्जे को लेकर आपति को पेश किया है। प्रार्थी संख्या–1 ने अपने सगे भाई मांगीलाल को मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी नहीं बनाया है। अतः जब तक बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी संख्या–1 के खसरा नम्बर 650 में कौनसी दिशा की भूमि बंट में आयेगी. इसका कोई स्पष्ट उल्लेख दर्शाया गया नहीं है। इस कारण प्रार्थी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र केवल इसी आधार पर खारीज योग्य है। ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 717 गैर मुमकिन आजादी आयी हुयी है. जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या–757 गैर मुमकीन आवादी भूमि का स्वीकृत किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हुआ है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 757 गैर मुमकिन आबादी की भूमि में से रास्ता को चाहा गया है। गैर मुमकिन आबादी के लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत धारा–251 ए का प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। आबादी भूमि के बारें में दावा सुनने का माननीय न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर खारीज योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जायें एवं अनार्थीगण को विशेष हर्जाना दिलाया जाये।

तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम लाम्बा में स्थित खेत खसरा संख्या 650, 661. व 657 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही वैकल्पिक रास्ता है। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्यां 650, 661, व 657 में वांछित रास्ता से ही आना–जाना कर रहे है। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1667 भाग प्रमकिन सारखे की भूमि से खसरा संख्या 717 ग्राम पंचायत लांम्बा की आबादी भूमि में से आगे खसरा संख्या 709 व खसरा संख्या 707 (जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है) में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 717 गैर मुमकिन आबादी से चिपता हुआ खसरा संख्या 716 स्थिता है जो प्रार्थी संख्या 03 व 04 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमे खसरा संख्या संख्या 16 स्थित माठ के पास लगभग 100 फीट की दूरी तक पूरी मेड के पास पक्के मकान व टीन शेड बने हुए है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते हेतु प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1667 गैर मुमकिन रास्ता चाहा गया है जिसमे प्रार्थीगण के खेत खसरा 657 की दक्षिण माठ से खसरा सख्या 1667 की दूरी 1650 फीट है खसरा संख्या 661 की दक्षिण माठ से खसरा सख्या 1667 गैर मुमकिन की दूरी 2442 फीट है तथा खसरा संख्या 650 की से खसरा सख्या 1667 गैर मुमकिन रास्ता की दूरी 2970 फीट है। तथा एक अन्य रास्ता खसरा संख्या 562 गैर मुमकिन रास्ता है। खसर संख्या 657 की दूरी 1716 फीट, खसरा संख्या 661 की दूरी 1914 फीट तथा खसरा संख्या 650 की दूरी 1980 फीट है। खसरा सं. 562 गैर मुमकिन रास्ता एवं प्रार्थीगण के खसरा सं. 657, 661, 650 के बीच एक अन्य रास्ता भी है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। परन्तु मौके पर चालू है। ये रास्ता आगे ग्राम लाम्बा की सरहद तक जाता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 657 के लिये सबसे निकटतम रास्ता प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता ही है। जबकि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 650 व 661 के लिये नजदीकी रास्ता खसरा संख्या 562 गैर मुमकिन रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि असिंचित हैं तथा ग्राम लाम्बा से भावी जाने वाली सडक के पास स्थित है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 717, 709, 707 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौका फर्द के अनुसार बनती है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रास्ते में उपयोग कुल रकबा	प्रार्थी का हिस्सा	वर्तमान डी. एल.सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	कंचन पुत्री बीरबल विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बिघा	1/10 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	5610

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2	गोपालराम पुत्र शिवराम विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बिघा	1/2 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	28054
3	परमेश्वरी देवी पत्नी बीरबल विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बिघा	1/10 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	5610
4	महेन्द्र पुत्र बीरबल विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बीघा	1/10 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	5610
5	राजेश पुत्र बीरबल विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बीघा	1/10 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	5610
6	शारदा पुत्री बीरबल विश्नोई निवासी लाम्बा	709	1.13 बीघा	1/10 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	5610
7	ओमप्रकाश पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
8	गिरधारी पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
9	जम्फूदेवी पत्नी भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
10	नैनीदेवी पुत्री भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
11	नवरतन पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
12	भगवती पुत्री भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
13	मीमली पुत्री भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
14	रूपाराम पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
15	रामस्वरूप पुत्र भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
16	लक्ष्मी पुत्री भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
17	सुखी पुत्री भीयाराम विश्नोई निवासी लाम्बा	707	10 बिस्वा	1/11 हिस्सा	105082 प्रति हैक्ट	1546
18	ग्राम पंचायत लाम्बा आबादी	717	7 बिस्वा	पूर्ण	142611 प्रति हैक्टयर	161521

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बंर 709, खसरा नंबर 707 व खसरा नंबर 717 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 650, खसरा नंबर 661 व खसरा नंबर 657 में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 717, 707 व 709 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. भाग से होकर रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 650, 661 व 657 में पहुचता है। तथा एक अन्य रास्ता खसरा नंबर 562 गैर मुमकिन रास्ता एवं खसरा नंबर 650, 661 व 657 के बीच एक अन्य रास्ता भी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। परन्तु मौके पर चालू है यह रास्ता आगे ग्राम लाम्बा ही सरहद तक जाता है। प्रार्थीगण के खसरा सं. 650 व 661 के लिये नजदीकी रास्ता खसरा सं. 562 गै.मुमकिन रास्ता है। जबकि प्रार्थीगण के खसरा नंबर 657 के लिये सबसे निकटतम रास्ता प्रांर्थीगण द्वारा वांछित रास्ता ही है। किन्तु खसरा नंबर 657 में पहुचने के लिए रास्ता खसरा नंबर 717 में से होकर निकलता है जो ग्राम पंचायत लाम्बा की खातेदारी भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। ग्राम पंचायत लाम्बा अनापति प्रमाण पत्र पेश किया है लेकिन उसमें कही भी यह नहीं दर्शाया कि भविष्य में खसरा नंबर 717 में जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा उपयोग लिया जा रहा है उसे खुर्द बुर्द नहीं किया जायेगा या उक्त रास्ते में किसी प्रकार का पट्टा ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से रास्ता देने का अधिकार राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त खसरान में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय करना न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा